अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय-5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रबंध

5.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का जारी करना, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसैंसों का जारी करना, मोटर वाहन कर (एम.वी.टी.), परमिट फीस तथा लाईसैंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी (आर.एल.ए.) की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 में, परिवहन विभाग की 94 इकाइयों में से 57 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 5,387 मामलों में ₹ 53.31 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2,777.57 करोड़ की प्राप्तियों का 1.92 प्रतिशत) से आवेष्टित परमिट फीस, ओवर लोडेड वाहनों से जुर्माना, माल एवं यात्री वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य विविध अनियमितताएं प्रकट कीं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि **तालिका 5.1** में वर्णित है।

तालिका 5.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट फीस की अवसूली/कम वसूली	2,029	4.26
2.	ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	1,136	1.92
3.	यात्री वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	554	0.69
4.	माल वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	954	2.29
5.	विविध अनियमितताएं	714	44.15
	योग	**5,387**	**53.31**

चार्ट 5.1

(₹ करोड़ में)

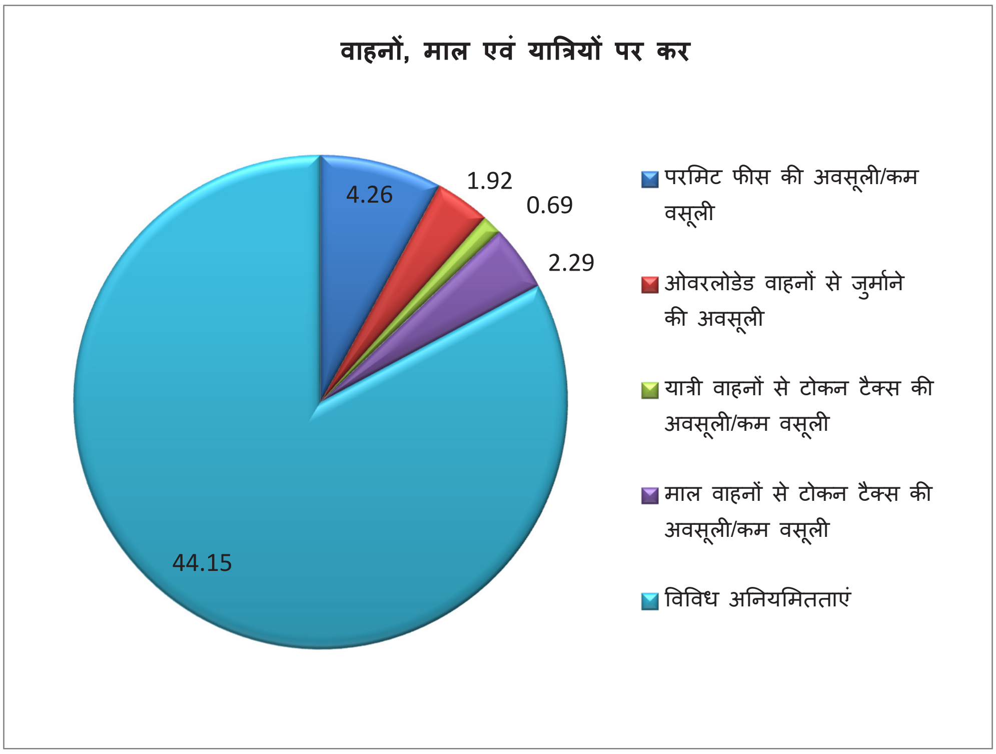

वर्ष के दौरान, विभाग ने 3,163 मामलों में आवेष्टित ₹ 6.50 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने 39 मामलों में आवेष्टित ₹ 19.95 लाख वसूल किए जिनमें से 32 मामलों में वसूल किए गए ₹ 10.72 लाख इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 1.67 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

5.3 मोटर वाहन कर और पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली

597 परिवहन और माल वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान मोटर वाहन कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.61 लाख के मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 69.61 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राहय थी।

हरियाणा सरकार की दिनांक 28 मार्च 2017 तथा दिनांक 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहनों पर निर्धारित दरों पर तिमाही के पहले माह में कर उद्ग्राहय होगा। प्रावधानों के अनुपालन में चूक के प्रकरण में विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के

0.5 प्रतिशत की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। पेनल्टी की वास्तविक राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी। मोटर वाहन कर की लागू दरें नीचे दी गई हैं:

माल वाहक (वार्षिक कर)	01.04.2017 से 30.09.2017 तक लागू दरें देय त्रैमासिक	1.10.2017 से लागू दरें देय मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक
1.2 टन तक	₹ 500	₹ 300
1.2 टन से अधिक लेकिन 6 टन से अधिक नहीं	₹ 7,875	₹ 7,200
छः टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं	₹ 10,400	₹ 9,600
16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं	₹ 16,400	₹ 15,500
25 टन से अधिक	₹ 24,400	₹ 22,500
यात्री वाहन (वार्षिक कर)	**देय त्रैमासिक**	**देय मासिक/त्रैमासिक**
चालक को छोड़कर चार से छः सीटें (चार पहिया वाहन)	₹ 625 प्रति सीट प्रति वर्ष	₹ 625 प्रति सीट प्रति वर्ष
चालक को छोड़कर सात से बारह सीटें (चार पहिया वाहन)	₹ 1,450 प्रति सीट प्रति वर्ष	₹ 1,450 प्रति सीट प्रति वर्ष

छः[1] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) के कार्यालयों में 1,37,416 परिवहन वाहनों (अप्रैल और दिसंबर 2018) में से 11,112 की नमूना-जांच में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 597[2] माल वाहक और यात्री वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान 522 मामलों में ₹ 62.51 लाख की राशि का कर जमा नहीं करवाया और 75 मामलों में ₹ 7.10 लाख का कर कम जमा करवाया। कर वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 69.61 लाख[3] की राशि के कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार ₹ 69.61 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर आर.टी.ए. फतेहाबाद तथा नूंह ने बताया (अप्रैल 2019 तथा फरवरी 2020) कि ₹ 8.57 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। सभी आर.टी.एज ने सूचित किया कि ₹ 1.31 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

सरकार मोटर वाहन कर की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को मजबूत करने पर विचार करे।

---

1 अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, नूंह, पंचकुला तथा सिरसा।

2 यात्री वाहन: नूंह: 31 और करनाल: 65, माल वाहक: नूंह: 100, करनाल: 27, पंचकुला: 20, सिरसा: 31, फतेहाबाद: 32 तथा अंबाला: 291

3 यात्री वाहन: करनाल: ₹ 6.73 लाख और नूंह: ₹ 1.78 लाख।
माल वाहक: अंबाला: ₹ 27.92 लाख, फतेहाबाद: ₹ 4.14 लाख, करनाल: ₹ 4.66 लाख, नूंह: ₹ 17.30 लाख, पंचकुला: ₹ 2.24 लाख तथा सिरसा: ₹ 4.84 लाख।

5.4 परिवहन वाहनों पर लगाई गई पेनल्टी की अवसूली

97 परिवहन वाहनों के मालिकों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए लगाई गई देय पेनल्टी को जमा नहीं करवाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

मोटर वाहन (एम.वी.) अधिनियम, 1988 की धारा 194 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति, जो एम.वी. अधिनियम की धारा 113 के अंतर्गत वाहनों के प्रमाण-पत्र/पंजीकरण में निर्दिष्ट भार/सकल वाहन भार से अधिक भार के माल की ढुलाई करने वाला मोटर वाहन चलाता है, ₹ 2,000 का न्यूनतम जुर्माना और अतिरिक्त भार के ₹ 1,000 प्रति टन अतिरिक्त राशि के साथ अतिरिक्त भार के ऑफलोडिंग प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आगे, हरियाणा सरकार की 19 अप्रैल 2017 की संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि यदि मोटर वाहन चालक स्वीकार्य भार वहन क्षमता के 25 प्रतिशत तक अधिक माल की ढुलाई करता है तो वह ₹ 2,000 के न्यूनतम जुर्माने और अतिरिक्त भार के लिए प्रति टन ₹ 1,000 की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि वह स्वीकार्य भार वहन क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक माल की ढुलाई करता है तो वह ₹ 5,000 के न्यूनतम जुर्माने और अतिरिक्त भार के ₹ 2,000 प्रति टन अतिरिक्त राशि के साथ अतिरिक्त भार के ऑफलोडिंग प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, दिनांक 28 मार्च 2017 की अधिसूचना के तहत नोट के अनुसार, यदि राज्य में वाहन पंजीकृत है, तो नियत देय कर का भुगतान किए बिना या उस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना पाया जाता है जिसके लिए उसे परमिट दिया गया है, हल्के मोटर वाहन के लिए ₹ 10,000 और अन्य मोटर वाहन के मामले में ₹ 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उन मामलों में जहां वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं जुर्माने की राशि हल्के मोटर वाहन के लिए ₹ 20,000 और अन्य मोटर वाहन के मामले में ₹ 50,000 होगी।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए पाँच[4] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2017 से दिसंबर 2018) ने प्रकट किया कि जारी किए गए 5,926 चालानों में से, 97[5] परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों (एम.वी. टैक्स का भुगतान किए बिना 10 मामले-पेनल्टी ₹ 4,40,000, निजी वाहन का वाणिज्यिक उपयोग दो मामले-पेनल्टी ₹ 50,000, ओवरलोडिंग 85 मामले-पेनल्टी ₹ 23,37,895) के लिए ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी। पेनल्टी की राशि वसूलने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी की राशि की वसूली नहीं हुई।

---

4 झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर।

5 झज्जर: 52, कैथल: 09, करनाल: 20, कुरुक्षेत्र: 06 तथा यमुनानगर: 10

यह इंगित किए जाने पर आर.टी.ए. कुरुक्षेत्र, करनाल तथा कैथल ने बताया (जनवरी तथा अप्रैल 2019 के मध्य) कि सात चालानों में ₹ 2.80 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। सभी पांच आर.टी.एज ने बताया (मई 2018 तथा अप्रैल 2019 के मध्य) कि ₹ 25.48 लाख की शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला जनवरी 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी राजस्व ठीक से वसूल किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।